सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर (जिला–अजमेर)**
**पीठासीन अधिकारी– श्री सुरेश चौधरी (आर.ए.एस.)**
**राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 35/2016**

श्री केदारप्रसाद शर्मा वयस्क पुत्र श्री बद्रीप्रसाद शर्मा (अब मृतक) जरिए अधिकृत वारिस श्री अजय शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सोहन नगर, सेंदड़ा रोड़, ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

.....प्रार्थी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार ब्यावर (राज.)

.....अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम**

**आदेश** दिनांक : 08-10-2018

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए कि मौजा ग्राम नयानगर पटवार हल्का नयानगर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नयानगर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नयानगर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) के खसरा संख्या 403 रकबा 00–02–00 गै.मु.चाह व खसरा संख्या 404 रकबा 00–10–00 किस्म आबादी वादी की खातेदारी में चला आ रहा है तथा राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार निजी सम्पत्ति के रूप में अंकित चली आ रही है। उक्त तथ्य राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 से प्रमाणित है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2060–63 में आराजी ख.सं. 403 की किस्म आबादी अंकित चली आ रही है तथा ख.नं. 404 की किस्म गै.मु.चाह अंकित चली आ रही है। वास्तविकता में ख.नं. 403 की किस्म गै.मु. चाह है तथा ख.नं. 404 की किस्म आबादी चली आ रही है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2060–63 के कॉलम संख्या 7 मृदा (भूमि) वर्गीकरण के कॉलम में ख.नं. 403 को गलत रूप से आबादी तथा ख.नं.404 को गलत रूप से गै.मु.चाह दर्शाया गया है जबकि पुराने रेकार्ड अनुसार ख.नं. 403 को गै.मु.चाह व ख.नं. 404 को आबादी दर्शाया गया है। इस प्रकार वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 में उक्त भूमियों की किस्म को गलत दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त फरमाया जाकर ख.सं. 403 की किस्म गै.मु. चाह एवं ख.सं. 404 की किस्म को आबादी अंकित एवं दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ख.सं. 403 पूर्व की खतौनी संवत् 2024–27 में ख.सं. 335/2 है तथा उसकी किस्म बा.1+ चाह क्षेत्रफल दो बिस्वा है। वर्तमान में आबादी दो बिस्वा अंकित है जो गलत है। क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र में पुराने नम्बर 335/2 व 334/2 को इन खसरा नंबर को खसरा नम्बर 403 अंकित किया गया है। नयानगर क्षेत्र के नक्शे को खसरा नम्बर 403 को चाह दर्शाया गया है। पूर्व खातेदार पंडित जगन्नाथ शर्मा ने जेड.बी. ए.एक्ट के मुकदमा नम्बर 505/1960 में एक प्रार्थना पत्र मय फार्म 2 पार्ट अ (रूल) का कलेक्टर महोदय अजमेर को लिखा था, उसमें वर्तमान खसरा नम्बर 403 जो उस समय 335मि. था, में फैसला दिनांक 25.05.1961 केसर नम्बर 505 दिया गया। इसमें खसरा नम्बर 335 मि. रकबा तीन बिस्वा दस बिस्वांसी में कुआ एवं तीन कोठरिया अंकित की गई है। इस क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र के अनुसार खसरा नम्बर 334 व 335 ही खसरा नम्बर 403 है, जो कुआ एवं उसके लगत तीन पक्की कोठडियां भी थी जो अभी भी है। इस प्रकार पुराने रेकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 403 चाह (कुआ) रकबा दो बिस्वा है, अतः इस खसरे में आबादी के स्थान पर चाह दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। खसरा नम्बर 403 किस्म चाह को किस्म आबादी में तथा खसरा नम्बर 404 को किस्म चाह के स्थान पर किस्म आबादी होना चाहिये जो उपर नीचे लिपिकीय त्रुटि के कारण अंकित किया जाना संभव है। नयानगर के नक्शे में खसरा नम्बर 403 पर कुआ व उसके पास खसरा नम्बर 404 बताया गया है, उसमें तीन कोठडिया व बाडा बना हुआ था इसलिए यह आबादी था। इसके पुराने नम्बर 335/1 व 334 व 336 है जो क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र में 404 है, यह चाह न होकर आबादी है। पुरानी खतौनी की नकल संवत्

.....लगातार

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

2024–27 की नकल में अंकित खसरा नम्बर 334, 335 व 336 में अंकित जो जेड.बी.ए. एक्ट के फैसले में तीन कोठडिया व बाडा होने से आबादी था, अतः उसे दुरूस्त कर खसरा नम्बर 404 को किस्म चाह के स्थान पर किस्म आबादी अंकित एवं दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी द्वारा जब दिनांक 10.09.2015 को राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की, तब उसे उक्त गलत अंकन की जानकारी हुई, इस पर वादी द्वारा दिनांक 10.09.2015 को प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रेकार्ड में भूमियों की किस्म को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी द्वारा वादी से न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा, इस कारण वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः वादी के पक्ष में राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किये जाने की डिक्री पारित फरमाई जाकर वाद के पद नम्बर 1 में वर्णित आराजियात में से खसरा नम्बर 403 की किस्म आबादी अंकित कर रखी है, उसे दुरूस्त किया जाकर उसकी किस्म चाह अंकित करवाई जावे तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 404 की किस्म चाह अंकित कर रखी है, उसे दुरूस्त करवाया जाकर उसकी किस्म आबादी अंकित करवाई जावे तथा राजस्व रेकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे तथा इस आशय की तहरीर प्रतिवादी को जारी किये जाने के कथन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किए।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार ब्यावर ने अपनी रिपोर्ट/जवाब में सारांशतः कथन किए हैं कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 332 अनुसार ग्राम नयानगर के खसरा नंबर 403 व 404 खातेदार अजय वल्द केदारप्रसाद कौम ब्राह्मण निवासी सोहननगर सेन्दड़ा रोड़ ब्यावर के नाम निजि सम्पत्ति के रूप में दर्ज है। दर्ज रेकार्ड अनुसार ख.नं. 403 का रकबा 2 बिस्वा व किस्म आबादी एवं खसरा नम्बर 404 का रकबा 10 बिस्वा व किस्म गै.मु. चाह दर्ज है। (नामा.सं. 3494 एवं 3504 अनुसार)। मिलान क्षेत्रफल अनुसार ख.नं. 403 रकबा 2 बिस्वा के साबिक ख.नं. 334व 335 में से टूटकर बना है जिसमें दोनों ही साबिक नम्बर से एक–एक बिस्वा लिया गया है जबकि अन्तिम चौसाला जमाबन्दी संवत् 2024–27 के खाता सं. 96 अनुसार ख.नं. 334 अपने मूल रूप में दर्ज है जिसका रकबा 03–01–10 एवं किस्म बा.1 दर्ज है जबकि साबिक ख.नं. 335 अन्तिम चौसाला खाता संख्या 96 अनुसार बटा नम्बरों में विभक्त होकर यथा ख.नं. 335/1 रकबा 03–17–15 किस्म बा.1+ एवं ख.नं. 335/2 रकबा 00–02–10 जिसकी किस्म बा.1+(चाह) दर्ज रेकार्ड है। वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2042–45 के खाता संख्या 90 अनुसार हाल ख.नं. 403 रकबा 2 बिस्वा जिसकी किस्म आबादी एवं ख.नं. 404 का रकबा 10 बिस्वा किस्म गै.मु.चाह दर्ज रेकार्ड है। तहसील कार्यालय में उपलब्ध ग्राम नयानगर की मोमीयां शीट का अवलोकन करने पर पाया कि ख.नं. 403 गै.मु. चाह दर्ज है एवं ख.नं. 404, ख.नं. 403 के चारो ओर की भूमि के रूप मे दर्ज है। ख.नं. 403 व 404 एक ही सीमा रेखाओं में विद्यमान है। मोमीया शीट का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि ख.नं. 403 जो गै.मु. चाह है, कास रकबा 2 बिस्वा व किस्म गै.मु. चाह दर्ज होनी चाहिये एवं इस चाह के लगते हुए भूमि जो ख.नं. 404 की है की किस्म आबादी दर्ज होनी चाहिये जिसे नजरी नक्शा बनाकर दर्शाया गया है। मौका निरीक्षण करने पर पाया कि मोमीया शीट नक्शा अनुसार ख.नं. 403 चाह मौके पर आज भी पुख्ता कायम है एवं ख.नं. 404 की भूमि अन्य खसरों के साथ सम्मिलित होकर उत्सव वाटिका के नाम से विवाह स्थल के रूप में प्रयुक्त हो रही है अर्थात् उत्सव वाटिका विवाह की सीमाओं के अन्तर्गत है।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे।

.....लगातार

( सुरेश चौधरी )
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् में ग्राम नयानगर की जमाबन्दी संवत् 2060–63 के खाता संख्या 79 में खसरा संख्या 403 रकबा 00–02–00 किस्म आबादी, खसरा संख्या 404 रकबा 00–10–00 किस्म गै.मु.चाह दर्ज है। प्रार्थना पत्र जो श्रीमान् कलेक्टर साहब अजमेर को संबोधित किया गया है, की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें श्री जगन्नार्थ शर्मा, सूरजनारायण शर्मा, जगदीशप्रसाद शर्मा ने ख.नं. 335/2 पर चाह बना हुआ होना तथा ख.नं. 335/1 के कुछ हिस्से पर कोठडिया तथा जानवरों का बाडा बना हुआ होना अंकित किया है। फार्म 2 पार्ट अ (रूल 6) की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें ख.सं. 336 तिबारा व कमरा व 335/2 चाह होना दर्ज है। जमींदारी बिस्वेदारी अबोलिशन एक्ट के प्रकरण संख्या 89/1960 के नोटिस की छाया प्रति है। जमींदारी बिस्वेदारी अबोलिशन एक्ट के प्रकरण दिनांक 25.05.1961 की छाया प्रति है जिसमें ख.सं. 335मि. रकबा 00–03–10 कुआ मय 3 कोठडिया, ख.सं. 336 रकबा 00–02–00 आबादी, ख.सं. 337 रकबा 00–13–00 ओपन लेण्ड दर्ज किया हुआ है। नक्शा ट्रेस की छया प्रति है। क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें साबिक खसरा संख्या 334 रकबा 03–01–10 के हाल नए नम्बर 402 रकबा 04–01–10, 403 रकबा 00–01–00, 404 रकबा 00–04–00 तथा साबिक खसरा संख्या 335 रकबा 04–00–05 के हाल नए नम्बर 403 रकबा 00–01–00, 404 रकबा 00–04–00, 405 व 406 बने हैं तथा साबिक खसरा संख्या 337 रकबा 00–13–00 के हाल नए नम्बर 404 रकबा 00–02–00, 408 व 409 बने होना पाया गया। ग्राम नयानगर की जमाबन्दी संवत् 2024–27 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 96 अनुसार ख.नं. 334 रकबा 03–01–10 किस्म बा.1 दर्ज है जबकि साबिक ख.नं. 335 अन्तिम चौसाला अनुसार बटा नम्बरों में विभक्त होकर ख.नं. 335/1 रकबा 03–17–15 किस्म बा.1+ एवं ख.नं. 335/2 रकबा 00–02–10 जिसकी किस्म बा.1+(चाह) दर्ज रेकार्ड है। ग्राम नयानगर की जमाबन्दी संवत् 2042–45 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 90 में अन्य खसरान के साथ खसरा संख्या 403 रकबा 00–02–00 किस्म आबादी व ख.सं. 404 रकबा 00–10–00 किस्म गै.मु. चाह दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बेचाननामा दिनांक 13.07.2000 की छाया प्रति है जिसमें बेचानकर्ता द्वारा क्रेता केदारप्रसाद शर्मा को खसरा संख्या 403 रकबा 00–02–00 किस्म आबादी व खसरा संख्या 404 रकबा 00–10–00 किस्म गै.मु. चाह अंकित है। श्री केदार प्रसाद शर्मा की मृत्यु होने का मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है। जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 332 अनुसार ग्राम नयानगर के खसरा नंबर 403 रकबा 00–02–00 किस्म आबादी व खसरा संख्या 404 रकबा 00–10–00 किस्म गै.मु. चाह खातेदार अजय वल्द केदारप्रसाद कौम ब्राह्मण निवासी सोहननगर सेन्दड़ा रोड़ ब्यावर के नाम निजि सम्पत्ति के रूप में दर्ज है।

बेचाननामा दिनांक 13.07.2000 में वक्त खरीद खसरा संख्या 403 रकबा 00–02–00 की किस्म आबादी अंकित थी एवं खसरा संख्या 404 रकबा 00–10–00 की किस्म गै.मु. चाह अंकित थी जो कि प्रार्थी केदारप्रसाद शर्मा की पूरी जानकारी में थी जिसके बावजूद यह प्रार्थना पत्र 16 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। इसके बावजूद प्रार्थना पत्र में यह कथन किया जाना कि जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने से उन्हें उक्त जानकारी हुई, बिल्कुल मिथ्या कथन है। उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों अनुसार हाल खसरा संख्या 403 किस्म आबादी रकबा 00–02–00 साबिक खसरा संख्या 334 व 335 से बना है तथा उक्त साबिक खसरा नम्बरों की किस्म बा.1 व बा.+ रही है न कि चाह। इसी प्रकार हाल खसरा संख्या 404 रकबा 00–10–00 किस्म गै.मु.चाह साबिक खसरा संख्या 334, 335 व 337 से मिलकर बना है जिसमें साबिक खसरा संख्या 335/2 की किस्म बा.1+ (चाह) दर्ज रही है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हाल खसरा सं.

.....लगातार

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

403 के साबिक खसरा संख्या की किस्म कभी भी चाह नहीं रही है एवं हाल खसरा संख्या 404 के साबिक खसरा नम्बरों की किस्म गै.मु. चाह रही है एवं जो हाल जमाबन्दी में भी यथावत चले आ रहे हैं जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त भी हाल खसरा संख्या 404 कभी भी आबादी में अंकित नहीं रहा एवं ना ही उक्त खसरा संख्या 404 के आबादी होने के कोई आदेश प्रार्थी ने प्रस्तुत किये हैं। उक्त दस्तावेजात् में किसी प्रकार की कोई लिपिकीय त्रुटि भी नहीं पाई गई है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 8-10-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर ब्यावर

( सुरेश चौधरी )
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
ब्यावर